राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 436/2018

घीसू पुत्र सुक्खा बी/सी जाट, निवासी डेटाकलां तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, पीपी के माध्यम से।
2. सहायक मुख्य संरक्षक अधिकारी, वन विभाग, भरतपुर।
3. मुख्य संरक्षक अधिकारी, वन विभाग, जयपुर।

---- प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री वी.डी. अग्निहोत्री श्री जीतेन्द्र कुमार पांडे के लिए

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री वी.डी. अग्निहोत्री श्री जीतेन्द्र कुमार पैंडे के लिए

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख : 04/08/2022

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : 18/08/2022

रिपोर्ट करने योग्य

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि एफआईआर संख्या 72/2016 (गलती से एफआईआर में 72/2006 के रूप में टाइप की गई) आरोपी अय्यूब, आदिल, आसिफ, घीसू और के खिलाफ दर्ज की गई थी। राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (इसके बाद '1953 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 30, 32 और 33 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भरतपुर जिले के कामां पुलिस स्टेशन में निसार पर आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों को वन काटते हुए पाया गया था। वन क्षेत्र में हरे-भरे पेड़ वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता बना रहे थे। पंजीकरण संख्या के बिना एक एल.एन.टी. (पोकलेन) मशीन मॉडल क्रमांक ई.सी. 210 बी को भी जब्त कर लिया गया, यह आरोप लगाते हुए कि वाहन का उपयोग 1953 के अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया जा रहा था। घटना कथित तौर

पर 2-3 अक्तूबर, 2015 की मध्यरात्रि में की गई थी।

2. सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 9.3.2016 के आदेश द्वारा, उक्त वाहन को जब्त करने का निर्णय लिया। उक्त वाहन पर स्वामित्व का दावा करने वाले याचिकाकर्ता ने अपील संख्या 15/2016 में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 1953 के अधिनियम की धारा 52क के तहत जब्ती के आदेश को चुनौती दी। आदेश दिनांक 28.6.2016 द्वारा अपील अपास्त कर जसी आदेश की पुष्टि की गयी। अपीलीय अदालत ने निर्देश दिया कि जब्ती आरोपी के मुकदमे के नतीजे के अधीन होगी। याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 70/2017 में अधिनियम 1953 की धारा 52ख के तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी। आपराधिक पुनरीक्षण को 8.11.2017 को समय-बाधित के रूप में अपास्त कर दिया गया था, उसके बाद याचिकाकर्ता ने धारा 482 सीआर.पी.सी के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एकलपीठ में याचिका संख्या 6180/2017 जिसे दिनांक 11.4.2018 के आदेश के तहत वापस ले लिया गया मानकर m अपास्त कर दिया गया और याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार वैकल्पिक विधिक सहारा लेने की छूट दी गई। अतः यह याचिका दायर की गई है।

3. सक्षम प्राधिकारी के आदेश को चुनौती इस आधार पर है कि यह कानून के आदेशों का अनुपालन न करने से ग्रस्त है। अपीलीय प्राधिकारी ने कानून के आदेश का अनुपालन न करने पर विचार नहीं किया और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने तकनीकी आधार पर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका अपास्त कर दी। चूँकि, उठाया गया मुद्दा 1953 के अधिनियम की धारा 52 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन न करने का है, इसलिए उक्त प्रावधान को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "52. जब्ती योग्य संपत्ति की जब्ती और प्रक्रिया:- (1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भी वन उपज के संबंध में, ऐसी उपज, सभी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सियों, जंजीरों या ऐसे किसी भी अपराध को करने में उपयोग की जाने वाली किसी अन्य वस्तु के साथ वन अपराध किया गया है, तो किसी भी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो, द्वारा जब्त की जा सकती है।

(2) इस धारा के तहत किसी भी संपत्ति को जब्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी संपत्ति पर एक निशान लगाएगा जो यह दर्शाता है कि इसे इस तरह से जब्त कर लिया गया है और जितनी जल्दी हो सके, या तो जब्त की गई संपत्ति को राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा अधिकृत सहायक वन संरक्षक (इसके बाद इस अध्याय में अधिकृत अधिकारी के रूप में संदर्भित) या जहां मात्रा या अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, अधिकृत से पहले जब्त की गई संपत्ति को प्रस्तुत करना संभव नहीं है अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी को जब्ती के बारे में एक रिपोर्ट दें, या जहां अपराधी के खिलाफ तुरंत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का इरादा हो, उस अपराध की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को ऐसी जब्ती की रिपोर्ट दें, जिसके कारण जब्ती हुई है:

बशर्ते कि, जब वन उपज, जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया जाना माना जाता है, राज्य सरकार की संपत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तो यह पर्याप्त होगा यदि अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक रिपोर्ट बना दे।

(3) उपधारा (5) के अधीन, जहां प्राधिकृत अधिकारी, जब्त की गई संपत्ति के समक्ष प्रस्तुत होने पर या जब्ती के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि उसके संबंध में वन अपराध किया गया है, वह लिखित आदेश द्वारा और दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इस तरह के अपराध को करने में इस्तेमाल की गई सभी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सियों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तु के साथ जब्त की गई वन-उपज को जब्त कर सकता है। जब्ती के आदेश की एक प्रति बिना किसी अनुचित विलंब के उस क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक को भेज दी जाएगी जिसमें वन उपज जब्त की गई है।

(4) उप-धारा (3) के तहत किसी भी संपत्ति को जब्त करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी-(क)

अपराध की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट को संपत्ति की जब्ती के लिए कार्यवाही शुरू करने के बारे में निर्धारित प्रपत्र में सूचना नहीं भेजता है, जिसके कारण जब्ती की गई है;

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे संपत्ति जब्त की गई है, और किसी अन्य व्यक्ति को, जो प्राधिकृत अधिकारी के सामने ऐसी संपत्ति में कुछ रुचि रखता हो, लिखित में नोटिस जारी करता है;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित जब्ती के खिलाफ नोटिस में निर्दिष्ट उचित समय के भीतर प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करता है; और

(घ) जब्ती करने वाले अधिकारी और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें खंड(ख) के तहत नोटिस जारी किया गया है, ऐसे उद्देश्य के लिए तारीख तय की जाएगी।

(5) किसी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सियाँ, जंजीरें या कोई अन्य वस्तु (जब्त की गई लकड़ी या वन उपज के अलावा) की उपधारा (3) के तहत जब्ती का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) के खंड(ख) में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध होता है कि ऐसी किसी भी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सियाँ, जंजीरें या कोई अन्य वस्तु का उपयोग उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था। या जैसा भी मामला हो, अपने नौकर या एजेंट की जानकारी या मिलीभगत के बिना और वन अपराध के लिए उपरोक्त वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ सभी उचित और आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलीय प्राधिकारी ने हालांकि जब्ती के आदेश की पुष्टि की, लेकिन निर्देश दिया कि यदि वाहन पड़ा रहेगा तो उक्त जब्ती मुकदमे के समापन तक मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी। इससे वाहन को क्षति और विनाश होगा। विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष

उपस्थित हुआ और सहायक दस्तावेजों के साथ शपथ-पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि जब्त किया गया वाहन एसआरआईई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड को सौंपा गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता विभिन्न ग्राहकों को ऐसे वाहन किराये पर उपलब्ध कराता था। इस बार शकुंतला शर्मा व रईस को भुआपुरीगढ़ तहसील कामां माइंस क्षेत्र में उपयोग के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया। यह उन्हें वैध रूप से पट्टे पर दिया गया था। सह-आरोपी अयूब, आदिल, निशार और आसिफ शकुंतला और रईस के लिए काम कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने वाहन को स्वीकृत पट्टाधारी खनन क्षेत्र में उपयोग के लिए किराए पर लिया था और उसे वन क्षेत्र में वाहन के दुरुपयोग की कोई जानकारी नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि यद्यपि वाहन को घटना स्थल पर जब्त कर लिया गया था, हालांकि अभियोजन पक्ष के साथ हाथापाई के बाद आरोपी व्यक्ति वाहन से भागने में सफल रहे, इसलिए, यह अभियोजन पक्ष का स्वीकृत मामला है कि वाहन को जब्त कर लिया गया था। तथाकथित जब्ती के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से जो याचिकाकर्ता के मामले की पुष्टि करता है कि वाहन अधिकृत खनन क्षेत्र से जब्त किया गया था।

5. विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने जवाबी शपथ-पत्र दायर करके मामले की तथ्यात्मक स्थिति को खंडित नहीं किया, हालांकि वाहन को रिहा करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का इस आधार पर विरोध किया कि एक बार वाहन जब्त कर लिया गया था और जब्ती वैध आधार पर की गई थी। रिट अदालत को तथ्य के विवादित प्रश्न पर नहीं जाना चाहिए।

6. अधिनियम 1953 की धारा 52 (सुप्रा.) की उपधारा (3) के प्रावधान प्राधिकारी को अपराध में शामिल वाहन सहित संदर्भित चीजों को जब्त करने का अधिकार देते हैं। हालाँकि, वन अधिनियम के तहत, उक्त प्रावधान के अधीन है उसकी उपधारा (5)। इसकी उपधारा (4) में प्रावधान है कि उपधारा (3) के तहत किसी भी संपत्ति की जब्ती का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि अधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति को, जिससे संपत्ति जब्त की गई है, और किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में नोटिस जारी नहीं करता है, जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी संपत्ति में कुछ हित होने का आभास करा सकता है।

7. आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि अधिकृत अधिकारी को पता था कि वाहन संदर्भित फाइनेंसर के अधीन था, इसलिए, जब्ती के समय वाहन का वास्तविक स्वामित्व

फाइनेंसर के पास था न कि याचिकाकर्ता के पास। इसलिए, जब्ती को प्रभावित करने से पहले, फाइनेंसर को भी नोटिस देना अनिवार्य था और नोटिस के अभाव में, पूरी जब्ती की कार्यवाही कानूनन दूषित हो गई थी।

8. धारा 52 की उप-धारा (5) जब्ती पर रोक लगाती है यदि उप-धारा 4(ख) के तहत देखा गया व्यक्ति अधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के लिए सिद्ध करता है कि वाहन का उपयोग उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना या जैसा भी मामला हो, बिना किया गया था। उसके नौकर या एजेंट की मिलीभगत का ज्ञान और वन अपराध के लिए उपरोक्त वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ सभी उचित और आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं।

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने शकुंतला को पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्र पर उपयोग के लिए वाहन किराए पर दिया था। याचिकाकर्ता के उपरोक्त दावे का खंडन करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। याचिकाकर्ता ने शपथ लेकर कहा कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसका वाहन जिस उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया था, उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया गया था। यह तथ्य रिकॉर्ड पर किसी अन्य सामग्री द्वारा भी खंडित नहीं किया गया था, बल्कि सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है जिसके उपयोग के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी वाहन अनधिकृत तरीके से. किसी तथ्य की मानसिक स्थिति को सिद्ध करने के लिए शायद ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य होगा। रिकॉर्ड पर विपरीत सामग्री के अभाव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को अपास्त करने का कोई कारण नहीं था। जाहिर है, सक्षम प्राधिकारी का आदेश 1953 के अधिनियम की धारा 52(4)(ख) और धारा 52 की उपधारा (5) के अनिवार्य प्रावधानों के गैर-अनुपालन से ग्रस्त है, सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में गंभीर चूक की है। क्योंकि इसने कानून के आदेशों का पालन नहीं किया।

10. अपीलीय प्राधिकारी ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश में उपरोक्त दुर्बलता की जाँच नहीं की, इसलिए अपीलीय प्राधिकारी का आदेश भी कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। परिणामस्वरूप, दोनों आदेश अपास्त किये जाते हैं।

11. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। यह निर्देशित किया जाता है कि जब्त किए गए वाहन को 3 लाख रुपये और इतनी ही राशि की दो जमानत की बैंक गारंटी प्रस्तुत

करने पर याचिकाकर्ता की अनंतिम हिरासत में सौंप दिया जाए। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा और वह उस न्यायालय की अनुमति के बिना वाहन का निपटान नहीं करेगा जहां मुकदमा चल रहा है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

BRIJ MOHAN GANDHI /77/89

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।